

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक- 1707 / 24 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक- 13 / 08 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी,
नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क
जोशीमठ।

विषय- जनपद चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग किमी 0.500 से 4.0 किमी 0 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.738 हे. वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 3991 / 12-1 जोशीमठ दिनांक 07.06.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सरकार के पत्रांक 715/X-4-16/121 (187)/2016 दिनांक 28.06.2016 के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 136/24 एल0ए0 दिनांक 18.01.2022 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी थी एवं अब पुनः एन0पी0वी0 धनराशि में वृद्धि होने के कारण वाछित धनराशि दिनांक 09.08.2024 को कैम्पा कोष में जमा करने के क्रम में अद्यतन अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है।

क्रम सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वर्तमान दरों 10 वर्षों के रख रखाव हेतु रू0 515862.00 मात्र का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से दिनांक 12.01.2018 द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (चालान की प्रति सलंगन 04 नं. प्रतियों में)

02	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रु. 18900947.00 की धनराशि आर0टी0जी0एस0 संख्या एस0बी0आई0एन02181252721 के माध्यम से दिनांक 12.01.2018 द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (चालान की प्रति बिन्दु संख्या 01 में) 2-अतिरिक्त एन.पी.वी. धनराशि रु. 496977.00 का भुगतान आर0टी0जी0एस0संख्या 524222861449 दिनांक 09.08.2024 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। (चालान की प्रति संलग्न 4 प्रतियों में।)</p>
03	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रमाण पत्र संलग्न 4 प्रतियों में।</p>
04	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां की धनराशि का आकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑनलाईन अपलोड करेगा जिससे नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉरपोरेशन बैंक में</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां की</p>

J.

	ऑनलाईन प्रक्रिया से चालान के अनुसार जमा करेगा तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पृष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या सलंगनाकों सहित ऑनलाईन अपलोड करेगा जिससे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑनलाईन/हार्ड कापी प्रेषित किया जायेगा।	धनराशि ऑनलाईन के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में भुगतान किया जा चुका है।
05	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की सुस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रमाण पत्र 4 प्रतियों संलग्न।
06	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त मान्य है।
07	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 में निहित प्राविधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	प्रमाण पत्र संलग्न 4 प्रतियों में
08	उपरोक्त शर्तों की अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त मान्य है।

सलंगन:- चार-चार प्रतियों में।

अतः अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को अग्रसारित कर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13.08.2024
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 26-12-2017

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	113162042015939
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	2406809/-

Amount in Words :Twenty-Four Lakh Six Thousand Eight Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089113162042015939
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 26-12-2017

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	113162042015939
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	2406809/-

Amount in Words :Twenty-Four Lakh Six Thousand Eight Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089113162042015939
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

12-1-18
Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

WTR - 5854210012547521

203

EXECUTIVE ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D
GOPESHWAR

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 09-08-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6116204278
MoEF/SG File No.	1(187)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISION Chamoli
Amount(in Rs)	496977/-

Amount in Words : Four Lakh Ninety-Six Thousand Nine Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

[Signature]
EXECUTIVE ENGINEER

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896116204278 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan even after 7 working days, then kindly mail a copy of challan to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBI NSR 222861449



एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी. 0.500 से 4.00 किमी. तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.738 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर तक मोटर मार्ग के किमी.0.500 से 4.00 किमी. तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.738 है० वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन.पी.वी. धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

16-1-18
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।



भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी. 0.500 से 4.00 किमी. तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.738 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर तक मोटर मार्ग के किमी. 0.500 से 4.00 किमी. तक मोटर मार्ग के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16-1-18
अधिसूची अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।



भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी. 0.500 से 4.00 किमी. तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.738 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर तक मोटर मार्ग के किमी. 0.500 से 4.00 किमी. तक मोटर मार्ग के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16-1-18
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 10-6-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No-11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.738 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Lata-Lata mandir motor road Km 0-500 to 4.00, Length 1.50 Km. Under State Sector (T.S.P.) at Joshimath Block in District- Chamoli Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.738 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

सत्य प्रतिनिधि प्रमाणित

(Ashok Kumar)

(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी

चमोली

16-1-18
अभिशासी अभियन्ता
प्रताप खण्ड लो० लि० वि०
गोपेश्वर

DM FRA Letter

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated ~~10.6.2018~~ ^{10.6.2018} at time ~~14.5.18~~ at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.38 Hect of civil land for the Construction of Lata-Lata mandir motor road Km 0-500 to 4.00. Length 1.50 Km. Under State Sector (T.S.P.) at Joshimath Block in District- Chamoli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Joshimath sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated:.....

Signature



(Ashok Kumar)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

~~सत्य जिले लिपि चमोली~~


16-1-18
अधिकासी अभियन्ता
प्रतीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी 0.00 से 4.00(लम्बाई 1.50किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली


उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी 0.00 से 4.00(लम्बाई 1.50 किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.738 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 2-2-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है -

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1- श्री. <u>अनूप कुमार शर्मा</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री. <u>सत्य प्रताप सिंह</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री. <u>विजय प्रसाद पुरोहित</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री. <u>महेन्द्र सिंह</u> | बी.डी.सी. क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी 0.00 से 4.00 (लम्बाई 1.50किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.738 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।


 उपजिलाधिकारी
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 सहायक समाज कल्याण अधिकारी
 बी.डी.सी. क्षेत्र

सत्य प्रताप सिंह
 सदस्य
 16-1-18
 वन निवासी अभियन्ता
 प्रमाण पत्र सं. नि० वि०
 गोपेश्वर

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0एस0पी0 (राज्य योजना) के अन्तर्गत ग्राम लता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी0 0.00 से 4.00 (लम्बाई 1.50 किमी0) तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक... 15/12/2014... को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री धन सिंह राणा (पूर्व प्रधान)	
2	श्री परवान सिंह रावत	
3	श्री कवमाण सिंह रावत	
4	श्री लक्ष्मण सिंह बुरेला	
5	श्री प्रेम सिंह रावत (संरक्षक)	
6	श्री रविन्द्र सिंह रावत	
7	श्री परम सिंह बुरेला	
8	श्रीमती शंकर देवी रावत	
9	श्रीमती अश्वि देवी	
10	श्रीमती लक्ष्मी देवी	
11	श्रीमती देवदेवी देवी	
12	श्री जल्पा सिंह	
13	॥ पिंडाराम पांडा सिंह बुरेला	
14	॥ खुशाला सिंह बुरेला	
15	॥ रघु सिंह बुरेला	
16	॥ वाला सिंह बुरेला	
17	श्रीमती पांकी देवी	
18	श्रीमती शारदा देवी	
19	श्री जगदीश सिंह राणा	
20	॥ सुवर्ण सिंह राणा	
21	॥ गेहा सिंह बुरेला	
22	॥ दिवान सिंह बुरेला	
23	॥ नन्दन सिंह राणा	
24	श्रीमती पानी देवी बुरेला	
25	श्रीमती शकुनी देवी बुरेला	
26	श्रीमती सरस्वती देवी	
27	श्री रामचन्द्र सिंह बुरेला	
28	॥ कुंवर सिंह राणा	
29	॥ महेन्द्र सिंह राणा	
30	श्रीमती लीला देवी	
31	श्रीमती सरस्वती देवी	
32	श्रीमती फराखी देवी	
33	श्रीमती माधवी देवी	
34	श्रीमती पांकी देवी	
35	श्रीमती सरिता देवी	



सत्य प्रतिक लिपि सम्पादित
16-1-18
अधिकारी अभियन्ता
जनपद चमोली


अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में लाता-लाता मंदिर मोटर मार्ग के किमी 0.500 से 4.00 तक (लम्बाई 1.50 किमी 0) में मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत लाता-लाता मंदिर मोटर मार्ग, 1.50 किमी 0 लम्बाई मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

सत्य प्रति लिखि प्रमाणित

16-1-18
अविभागीय अभियन्ता
प्राचीन खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर



कार्यालय उप वन संरक्षक, नन्दादेवीराष्ट्रीय पार्क, ज्योतिर्मठ।

Phone & Fax No. - 01389-222179

E-mail- dcjndnp-forest-uk@nic.in

पत्रांक- 700 / 12-1, जोशीमठ, दिनांक, 29-08-2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी 0.5 से 4.00 किमी तक, मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.738 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर की पत्र संख्या 1707/24 एल0ए0, दिनांक 13.08.2024.

महोदय,

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग पर मिली सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर) रू0 5,15,862.00 ऑन लाईन चालान द्वारा जमा कर दी गयी है जिसकी सूचना पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार की पत्र संख्या- 5-3/2007-एफसी, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि निर्धारित वर्तमान दरों पर रू0 18,90,947.00 ऑन लाईन चालान द्वारा जमा कर दी गयी है जिसकी सूचना पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। <u>इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र दिनांक 06.01.2022 द्वारा पुनरीक्षित एन0पी0वी0 दरों के अनुसार बढी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है (संलग्न है)।</u>
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे की सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी यह बचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी जिसकी सूचना पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार की पत्र संख्या- 5-3/2007-एफसी, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड करेगा, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन स6त्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार की पत्र संख्या- 5-3/2007-एफसी, दिनांक 05.02.2009 व पत्र दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाते में ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान द्वारा जमा की गयी है।

	तदनश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। तदपश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन लाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण का शर्त मान्य है।
7	प्रस्तावक विभाग/ऐजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधीनियम 2006 में निहित प्राविधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण का शर्त मान्य है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्त सभी शर्तें प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है।

अतः अनुपालन आख्या मूल प्रति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(बी0बी0 मर्तोलिया),

उप वन संरक्षक,

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ।

पत्रांक 700 / 127 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने किसी सक्षम अधिकारी को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुपालन आख्या की मूल प्रति सहित 03 प्रति प्राप्त कर नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बी0बी0 मर्तोलिया),

उप वन संरक्षक,

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ।